


# फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत ..... उपरवर्त फर्दिकार ..... मुकाम ..... इतिहास  
 ..... दिल्ली ..... बनाम ..... फर्दिकार का .....  
 किस्म मुकदमा ..... 88 2, 12 .....  
 नम्बर ..... 49/17 .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	---

पुकारणा आपसी इतिहास  
 आदमी के अदालत सं. 52 में अदालत  
 के अंत में लाम रफ कदों अदालत लोक  
 अदालत इतिहास 2017 तथा आपके  
 अदालत आदमी में सं. 19.5-17  
 का फैसला हुआ। इतिहास लोकाल  
 के अदालत के अदालत लोकाल  
 से अदालत में लाम।

  
500

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)  
(आदेश 20 के नियम 6 ओर 7 )

मूल वाद में डिग्री

पीठासीन अधिकारी:- श्री दीपक मेहता (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

**अनवान**

दीप्ति चौबीसा पिता दिनेश चौबीसा  
तृप्ति चौबीसा पिता दिनेश चौबीसा नि0 आंतरी

**बनाम**

श्रीमति अन्जना चौबीसा पत्नि दिनेश चौबीसा नि0 आंतरी



दावा बाबत- धारा 88 सहखातेदार घोषित करने।

मुकदमा नं0 49/2017

निर्णय दिनांक-19.5.2017


वादी की ओर से श्री दीप्ति चौबीसा एवं तृप्ति चौबीसा पिता स्व0 श्री दिनेश चौबीसा नि0 आंतरी तहसील एवं जिला डूंगरपुर व प्रतिवादी श्रीमति अन्जना चौबीसा पत्नि दिनेश चौबीसा नि0 आंतरी तहसील एवं जिला डूंगरपुर की ओर से इस वाद में आज दि0 19.5.2017 को दीपक मेहता (आरएएस) उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

मौजा आंतरी के खाता संख्या नया 68 पुराना 52 जमाबंदी संवत् 2071-74 में सहखातेदार के रूप में श्रीमति दीप्ति एवं तृप्ति चौबीसा पिता स्व0 दिनेश चौबीसा नि0 आंतरी को अंजना पत्नि स्व0 श्री दिनेशकुमार के हिस्से में सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जानी की डिग्री दी जाती है।

वादी/प्रबितवादी खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे

डिग्री आज दिनांक 19.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से लगाकर दी

गई।

  
(दीपक मेहता)  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर